

यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र चवा मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा मूढणों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 637/27 रकबा 11.06 बीघा, खसरा संख्या 643/29 रकबा 07.11 बीघा, खसरा संख्या 646/94 रकबा 18.02 बीघा, खसरा संख्या 649/82 रकबा 15.08 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा मूढणों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 637/27 रकबा 11.06 बीघा, खसरा संख्या 643/29 रकबा 07.11 बीघा, खसरा संख्या 646/94 रकबा 18.02 बीघा, खसरा संख्या 649/82 रकबा 15.08 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का



उप-डिप्टी कमिश्नर  
बाडमेर


तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 64/2018 अनवान भगाराम बनाम पूनमाराम

आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



  
उपखण्ड अधिकारी,  
(एसडीओ) बाडमेर